

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०स०-4/निदे०अनु०जाति आ०वि०(राज्य स्कीम)सं०-182-04/2026-16

प्रेषक,

सरकार के सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-08/05/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, महकार, गया के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल राशि ₹1,90,00,000/- (एक करोड़ नब्बे लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।
आदेश-स्वीकृत।

2- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय महकार, गयाजी के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में कुल राशि ₹1,90,00,000/- (एक करोड़ नब्बे लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3-स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन-उपशीर्ष-0102-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0102.01.01-वेतन, 0102.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0102.01.04-मकान किराया भत्ता, 0102.01.06-चिकित्सा भत्ता, 0102.01.07-अन्य भत्ता, 0102.06.01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0102.11.01- यात्रा व्यय, 0102.13.01-कार्यालय व्यय, 0102.13.04-विद्युत प्रभार एवं 0102.28.02-संविदा सेवाएँ मद में मांग संख्या-44-विपत्र कोड सं०-44-2225010010102 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3- इस स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गयाजी होंगे तथा उपविकास आयुक्त, गयाजी इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4-राशि को निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17-04-1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र एवं परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7-प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन संचिका सं०-4/निदे०अनु०जातिआ०वि० (राज्य स्कीम) सं०-182-04/2026- के पृष्ठ- /टि० पर प्राप्त है।

8-कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 01.05.26

सरकार के सचिव

पटना, दिनांक-08/05/2026

ज्ञापांक-4/निदे०अनु०जातिआ०वि०(राज्य स्कीम)सं०-182-04/2026-16

प्रतिलिपि:-(1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी/जिला पदाधिकारी, गयाजी/उप विकास आयुक्त, गयाजी/उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गयाजी/उप निदेशक (मु०), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर/ सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 01.05.26
सरकार के सचिव